प्रेस विज्ञप्ति

ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक की श्रम आयुक्त बिहार से मुलाकात

दिनांक: 14 अगस्त 2025

स्थान: पटना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार के क्षेत्रीय निदेशक सीए. निरंजन कुमार ने श्रम आयुक्त, बिहार श्री राजेश भारती से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर ईएसआईसी द्वारा वर्तमान में संचालित "स्प्री" (SPREE) अभियान एवं "एमनेस्टी" (Amnesty) योजना के उद्देश्यों और प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी ।

मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि अबतक चूकवश पंजीकृत नहीं हुए योग्य फैक्ट्री एवं प्रतिष्ठानों को SPREE अभियान के अंतर्गत पंजीकृत करने का विशेष प्रयास किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक ईएसआई योजना के तहत चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों का लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत नियोक्ता से कोई पूर्वकालीन अंशदान की मांग, रिकॉर्ड की जांच या निरीक्षण नहीं किया जाएगा, जिससे नियोक्ताओं को बिना किसी पिछली देनदारी के सुरक्षित रूप से पंजीकरण का अवसर मिलता है। वहीं Amnesty योजना के तहत पुराने बकाया और विभिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमों का समाधान किया जाना है । ताकि इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस के तहत नियोक्ताओं को राहत मिल सके ।

श्रम आयुक्त ने ईएसआईसी के इन दोनों पहलों का स्वागत किया और राज्य में नियोक्ता एवं श्रमिकों के हित में इस अभियान को सफल बनाने के लिए श्रम विभाग और ईएसआईसी के बीच बेहतर समन्वय से सभी नियोक्ता तक इस योजना के प्रचार प्रसार में सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर DIMS श्री सत्येंद्र कुमार एवं उप निदेशक श्री राकेश रंजन तिवारी भी उपस्थित रहे ।

ईएसआईसी बिहार सभी नियोक्ताओं और श्रमिकों से अपील करता है कि वे इन अभियानों का लाभ उठाएं और समयपूर्व पंजीकरण एवं अनुपालन सुनिश्चित करें।